न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- डा0 मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 55/2017

बल्लाराम पुत्र शंकरराम जाति माली निवासी गुडा ढहर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थीगण

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

– रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 31.10.2017
उनवानी प्रकरण सरकार बनाम बल्लाराम
मु.न. 26/2017, अ. धारा 91 राज. भू. राज. अधि. 1956

उपस्थितिः–

1 .श्री अरविन्द सैनी, एडवोकेट ------ ------------अपीलान्ट की ओर से ।

2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट----------------रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 11.1.2018

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 31.10.2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम बल्लाराम मु.न. 26/2017 अ.धा. 91 राज. भू. राज. अधि. 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 31.10.2017 पत्रावली पर आई साक्ष्य पर बिना गौर किये ,बिना विवेचना किये एवं बिना माईण्ड अप्लाई किये पारित किया है, जो स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में नहीं आता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध एवं खिलाफ पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार एक अजनबी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर सम्पूर्ण कार्यवाही प्रकरण में प्रारम्भ की गई है, जोकि धारा 91 के प्रावधानो से विपरित है, इसलिए

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही आरम्भ से ही शुन्य थी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पैरा संख्या 1 से भूमि खसरा नंबर 1924 की किस्म गैर मुमकिन कुआ अंकित किया है, जब कि पैरा संख्या 2 में किस्म बंजड अंकित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने प्रश्नगत निर्णय पारित करने से पूर्व कोई माइन्ड अप्लाई नहीं किया। निर्णय में वर्णितानुसार भूमि खसरा नम्बर 1924 की भूमि पर वर्ष 2017 में अतिक्रमण करना जाहिर किया है, उपरोक्त कथन सर्वथा असत्य व झूठ हैं क्योंकि उपरोक्त भूमि की किस्म गैर मु0 चाह है। उपरोक्त चाह से अपीलांट अपने भूमि की सिंचाई करता था और बैलों को रखने के लिए कच्ची छान बना रखी थी, उसमें अब पक्की छान पशुओं के लिए है, जो अपीलांट के पीढी दर पीढी से पशुओं के रहवास के लिए काम आ रही है, जिस पर अपीलांट का कब्जा है। अपीलांट एक काश्तकार है और इसी भूमि से सटकर अपीलांट की काश्त की भूमि है जिसमें अपीलांट ने मकान बना रखे है, केवल मात्र सीमा का विवाद है। अपीलांट के मकान किस खसरा नंबर में हैं यह नपती से ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना नपती करवाये जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त होने योग्य है। मौके पर फसल है, स्थाई बिन्दु से कोई नपती नहीं की गई है,इसलिए नहीं कहा जा सकता कि राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण है। मौके पर अपीलान्ट के नाम से बिजली का कनेक्शन है, उक्त कनेक्शन बाबत ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट का स्वतः व कब्जा मानकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हुए है जिससे भी साबित करते है कि अपीलान्ट का पुराना व वैध कब्जा है। प्रकरण मे पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है, वह गलत है, पटवारी हल्का ने पटवार घर मे प्रार्थी के विरोधी व्यक्तियो से मिलकर रिपोर्ट तैयार की है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील को स्वीकार फरमाया जाकर नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 31.10.2017 उनवानी सरकार बनाम समदर मुकदमा नम्बर 27/2017 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक अजनबी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर सम्पूर्ण कार्यवाही प्रकरण में प्रारम्भ की गई है,

जोकि धारा 91 के प्रावधानो से विपरित है। अपीलांट का पीढियों से काफी पुराना कब्जा है, अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। मौके पर अपीलान्ट के नाम से बिजली का कनेक्शन है, उक्त कनेक्शन बाबत ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट का स्वतः व कब्जा मानकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हुए है जिससे भी साबित है कि अपीलान्ट का पुराना व वैध कब्जा है। । तहसीलदार द्वारा बिना मौके की जांच किये उक्त निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे ।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 1924 कुल रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मु0 कुआ में से रकबा 0.02 हैक्टर पर छड़ी व बाड़ लगाकर अतिक्रमण किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रकिया के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है ,जिसमें काई कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने खसरा नंबर 1924 कुल रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मु0 कुआ में से रकबा 0.02 हैक्टर पर छड़ी व बाड़ लगाकर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिक प्रकिया के अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. आर.एक्ट के अन्तर्गत नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा वैध माना जा सके और ना ही अपीलान्ट ने अपील के साथ इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा वैध साबित हो या अपीलांट का प्रकरण नियमन योग्य हो । ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय में कोई विधित त्रुटि प्रतीत नही होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 31.10.2017 मु0 नंबर 26/2017

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

उनवानी सरकार बनाम बलाराम यथावत रखा जाता है । मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 11.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू